सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14/3/18
21/1/18
9/5/18
2018/00/16

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नन्दराम वगैरा बनाम ग्राम फकीराराम वगैरा व स्टेट

निगरानी प्रकरण सं0 18 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.04.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तथाकथित वसीयत दिनांक 07.05.1987 को की गई है, जबकि उस समय भूमि गैरखातेदारी थी। लूणाराम को इस भूमि की सनद दिनांक 27.05.1995 को जारी की गई जिस पर उसे खातेदारी इंतकाल हुआ है, गैरखातेदार वसीयत निष्पादित करने हेतु सक्षम नहीं था और ना ही गैरखातेदारी भूमि की वसीयत की जा सकती है इसलिए उक्त वसीयत प्रारम्भ से शून्य है तथा कोई प्रभाव नहीं रखती है। उक्त भूमि जीवो के आधार पर लूणाराम को आवंटन हुई थी। अलॉटिड भूमि सभी पारिवारिक सदस्यों की मानी जाती है, जिस पर लूणाराम के सभी वारिसों का हक था लूणाराम को किसी एक वारिस के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए वसीयत से अकेले फकीराराम को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। चक 65 एनपी की मु.न. 26 व मु.न. 24 व मु.न.22 की कुल 25 बीघा 17 बिस्वा तथा चक 63 एन.पी. के मु.न.16 के 12 बीघा कुल 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि की तथाकथित वसीयत दिनांक 7.5.1987 द्वारा करवाई है जबकि रेस्पोडेन्ट सोना देवी के ऐतराज पर वसीयत को आंशिक मानकर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है तथा वसीयत में दर्ज चक 63 एन.पी. की 12 बीघा भूमि को सोना देवी के लिए छोड दिया गया है विधि के सिद्वांतो के अनुसार किसी दस्तावेज को सम्पूर्ण माना जायेगा या नहीं माना जावेगा ? इससे साफ पता चलता है कि वसीयत फर्जी तैयार की है। उक्त भूमि पर सभी वारिसों का सांझा कब्जा है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इस भूमि को आगे बैचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अपीलांटस को नापूरा होने वाला नुकसान हो रहा है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस आशय का स्थगन दिया जाना आवश्यक है कि चक 65 एन.पी. की मु.न. 26 व 24 व मु.न. 22 की कुल 25 बीघा 17 बिस्वा तथा चक 63 एन.पी. के मु.न.16 के 12 बीघा कुल 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि को रहन बैय करने से बाज व ममनू रहे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें तो श्रीमान की कृपा होगी। बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पृथमदृष्टया मामला अपीलार्थीयान के पक्ष में प्रतीत होता है क्योंकि तथाकथित वसीयत दिनांक 07.05.1987 को की गई है, जबकि उस समय भूमि गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त तथाकथित वसीयत में चक 65 एनपी की मु.न. 26 व मु.न. 24 व मु.न.22 की कुल 25 बीघा 17 बिस्वा तथा चक 63 एन.पी. के मु.न.16 के 12 बीघा कुल 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि की वसीयत दिनांक 7.5. 1987 द्वारा करवाई है जबकि रेस्पोडेन्ट सोना देवी के ऐतराज पर वसीयत को आंशिक मानकर नामान्तरण दर्ज करने का	

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

13.02.2020

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2019 पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 2 सोनादेवी पत्नी गणेशाराम का देहान्त 03.01.2019 को हो गया है। 90 दिन के अन्दर अपीलान्ट द्वारा पक्षकारो को (वारिसों) पक्षकार नही बनाया है, इसलिए अपील स्वतः अबैट हो चुकी है। अतः अपील अबैटमेंट के आधार पर खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। लेकिन बहस करने से मना किया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सोनादेवी पत्नी गणेशाराम का देहान्त 03.01.2019 को हो चुका है जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलार्थी को दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र की प्रति देकर सूचित किया हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा 8 माह का समय व्यत्ति होने पर भी पक्षकारो को पक्षकार बनाये जाने हेतु अपना जवाब पेश नहीं किया है। अपीलार्थी अबैटमेंट होने से खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की अपील अबैट होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

Scanned by CamScanner